तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 64/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/123) बअनवान श्रीमती देवी व अन्य बनाम मूलाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

श्रीमती देवी व अन्य

बनाम

मूलाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट्स

आदेश

दिनांक 08 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2023 अनवान मूलाराम बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 मार्च 224 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी संख्या दो वादग्रस्त आराजी की सद्भाविक क्रेता है, जिसने अपीलार्थी संख्या एक के नाम दर्ज 1/6 संपूर्ण हिस्सा बिना किसी पड़ौस दर्शाये क्रय किया है। रेस्पोडेंट्स को उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट संख्या दो का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रूकवाने के लिए विचारण न्यायालय में वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स के वादग्रस्त आराजी में दर्ज हिस्से को संरक्षित करने के बजाय संपूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। अपीलार्थी माप एवं सीमांकन के आधार पर आज भी वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु तैयार है, किंतु रेस्पोडेंट्स द्वारा केवल नामांतरकरण की कार्यवाही को रूकवाने के उद्धेश्य से ही वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 64/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/123) बअनवान श्रीमती देवी व अन्य बनाम मूलाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मार्च 2024 को अपास्त फरमाया जावे

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध बेचाननामा दिनांक 11 जनवरी 2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट संख्या दो वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 440 रकबा 9.5748 हैक्टेयर ग्राम रामदेवनगर तहसील फलोदी के 1/6 हिस्से की खातेदार अपीलार्थीनी संख्या एक देवी पत्नी रमेश कुमार से उसके नाम दर्ज संपूर्ण भूमि यानि रकबा 1.5958 हैक्टेंयर भूमि पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये दावा दायरी से पूर्व खरीद किया जाना पाया जाता है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख की पालना में अपीलांट संख्या दो का नाम अपीलांट संख्या एक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है तो वाद की कार्यवाही मे किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में अपीलांट संख्या दो को पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 11 जनवरी 2023 की पालना में नामांतरकरण की छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 मार्च 2024 में अपीलांट संख्या दो को पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11 जनवरी 2023 की पालना में नामांतरकरण की कार्यवाही की छूट प्रदान की जाती है। साथ ही अपीलांट संख्या दो बाद नामांतरकरण कार्यवाही अपीलाधीन आदेश से पाबंद रहेगी।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर